



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(47)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2010/संस्था/2015/

2435

जयपुर दिनांक:- 18/11/15

—:आदेश:—

श्रीमती सीमा कौशल, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति अराई जिला अजमेर का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधिनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के अन्तर्गत राजस्थान लेखा सेवा में होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (9) वित्त/राजस्व/2011 दिनांक 17.11.2015 की पालना में दिनांक 26.11.2015 को वित्त विभाग में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया जाने हेतु लिखा जाने के क्रम में श्रीमती सीमा कौशल, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति अराई जिला अजमेर को वित्त विभाग के उक्त आदेशों के क्रम में दिनांक 25.11.15 को मध्याह्न पश्चात विभाग से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति वित्त विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गिरीश प्रशाशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग।
7. संभागीय आयुक्त अजमेर।
8. जिला कलेक्टर अजमेर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति अराई जिला अजमेर।
11. प्रोगामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
12. संबंधित अधिकारी।
13. आदेश पत्रावली।

(गिरीश प्रशाशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)